

मांग संख्या 01
मुख्य शीर्ष 2013

मद क्रमांक 1

मुख्य मंत्री वैवेकिक अनुदान हेतु राशि रुपये 70.00 करोड़ के अतिरिक्त व्यय की संभावना है। इस हेतु राज्य की आकस्मिकता निधि से रुपये 30.00 करोड़ का अग्रिम स्वीकृत किया गया है।

अतः आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति सहित रुपये 70,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2052

मद क्रमांक 2 - 3

सचिवालय सामान्य सेवायें हेतु वेतन में रुपये 1.00 करोड़ एवं मजदूरी मद में रुपये 20.00 लाख इस प्रकार कुल राशि रुपये 1.20 करोड़ के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,20,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2070

मद क्रमांक 4 - 6

मध्यप्रदेश लोकायुक्त कार्यालय हेतु मजदूरी मद में रुपये 5.00 लाख, कार्यालय फर्नीचर हेतु रुपये 8.00 लाख एवं कार्यालय उपकरण हेतु राशि रुपये 5.00 लाख इस प्रकार कुल राशि रुपये 18.00 लाख के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 18,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7

लोकायुक्त कार्यालय हेतु वाहन प्रतिस्थापन मद में नवीन वाहन क्रय हेतु राशि रुपये 10.00 लाख की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 8

लोकायुक्त संगठन में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य अंतर्गत कार्यालय उपकरण हेतु राशि रुपये 15.00 लाख के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 15,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4059

मद क्रमांक 9

आवासीय आयुक्त न्यू मध्यप्रदेश भवन चाणक्यपुरी, नई दिल्ली के लिये केन्द्रीय शासन द्वारा आवंटित 1.478 एकड़ भूमि के क्रय करने हेतु राज्य की आकस्मिकता निधि से रुपये 21,15,15,433 का अग्रिम स्वीकृत किया गया है।

अतः आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु रुपये 21,15,15,433 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 02

मुख्य शीर्ष 2053

मद क्रमांक 1

विशिष्ट गणमान्य व्यक्तियों के भ्रमण मद में राशि रुपये 1.20 करोड़ के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,20,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2250

मद क्रमांक 2

अन्य सामाजिक सेवायें अंतर्गत स्व. देवी प्रसाद शर्मा स्मृति पुरस्कार योजना (पारितोषिक पुरस्कार सम्मान) मद में राशि रुपये 1.00 लाख के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

दुर्घटना मृतकों के परिवार तथा घायलों को वित्तीय सहायता मद में राशि रुपये 2.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

मुख्यमंत्री उत्कृष्ट पुरस्कार योजना मद में राशि रुपये 20.00 लाख के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 20,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

श्री सुशीलचन्द्र वर्मा स्मृति पुरस्कार योजना में राशि रुपये 20.00 लाख के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 20,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 03
मुख्य शीर्ष 2055

मद क्रमांक 1

राज्य सायबर मुख्यालय के अंतर्गत वेतन मद में राशि रुपये 130.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,30,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2 - 5

सायबर अपराध अन्वेषण के अंतर्गत नवीन मद खोलकर कार्यालय व्यय, व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियाँ एवं मशीनें मदों में रुपये 230.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,30,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6

पुलिस मुख्यालय के अंतर्गत सामग्री एवं पूर्तियां मद में राशि रुपये 3.00 करोड़ के अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7

सामान्य व्यय जिला स्थापना के अंतर्गत वेतन मद में राशि रुपये 30.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 30,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 8

पुलिस मुख्यालय के अंतर्गत सामग्री एवं पूर्तियां मद में राशि रुपये 12.00 करोड़ के अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 12,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 9 - 10

पर्यवेक्षक कर्मचारी वृन्द के अंतर्गत बिजली/जल प्रभार एवं पेट्रोल तेल मद में राशि रुपये 40.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 40,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 11 - 12

पुलिस बल का आधुनिकीकरण के अंतर्गत नवीन वाहनों का क्रय तथा शस्त्र एवं गोला बारूद मद में राशि रुपये 27.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 27,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 13 - 19

सड़क सुरक्षा कोष के अंतर्गत कार्यालय उपकरणों का क्रय, परीक्षा एवं प्रशिक्षण, परिवहन व्यय, अन्य, मशीन अनुरक्षण, अन्य प्रभार एवं मशीन उपकरण मद में राशि रुपये 50.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 20 - 21

नेशनल इमरजेंसी रिस्पॉस सिस्टम के अंतर्गत नवीन योजना खोलकर अन्य प्रभार एवं मशीन उपकरण मद में राशि रुपये 1418.25 लाख का प्रावधान प्रस्तावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 14,18,25,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2070

मद क्रमांक 22

होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा के अंतर्गत विशेष सेवाओं के लिये मानदेय मद में राशि रुपये 20.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 20,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 23 - 26

राज्य आपदा आपातकालीन मोचन बल का गठन के अंतर्गत वाहन भत्ता, अन्य भत्ते, महंगाई भत्ता एवं विशेष सेवाओं के लिये मानदेय हेतु राशि रुपये 1,15,34,000 का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,15,34,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 04

मुख्य शीर्ष 2216

मद क्रमांक 1 - 3

संपदा संचालनालय के अंतर्गत बिजली एवं जल, अधिवक्ता की फीस एवं परिवहन व्यवस्था मद में राशि रुपये 2.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2235

मद क्रमांक 4

सैनिक कल्याण के अंतर्गत मेला, उत्सव, प्रदर्शनी मद में राशि रुपये 105.05 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,05,05,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5 - 6

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अंतर्गत प्रशिक्षण एवं विशेष सेवाओं के लिये मानदेय मद में राशि रुपये 76.40 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 76,40,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 08
मुख्य शीर्ष 2029

मद क्रमांक 1

जिला खर्च योजना अंतर्गत डिक्रीधन के भुगतान (भारित) हेतु वित्तीय वर्ष में स्वीकृत राशि के अतिरिक्त रुपये 91,906 की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 91,906 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2053

मद क्रमांक 2

जिला प्रशासन के अंतर्गत वाहन का प्रतिस्थापन योजना में स्वीकृत राशि के अतिरिक्त रुपये 3,37,50,000 की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,37,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 10
मुख्य शीर्ष 2406

मद क्रमांक 1

ईको सिस्टम सर्विसेस इम्प्रवमेंट प्रोजेक्ट योजना अंतर्गत स्वीकृत राशि के अतिरिक्त रुपये 5.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 11
मुख्य शीर्ष 2852

मद क्रमांक 1

फ्रेन्ड्स ऑफ एम.पी. कानक्लेव वर्ष 2018 के आयोजन हेतु राशि रुपये 1.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत निवेश प्रोत्साहन योजना में लंबित प्रकरणों के भुगतान हेतु राशि रुपये 100.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 12
मुख्य शीर्ष 2801

मद क्रमांक 1

कृषक समृद्धि योजना अंतर्गत राशि रुपये 15.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 15,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4801

मद क्रमांक 2

विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा एकलित विद्युत शुल्क की राशि का 75 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में परिवर्तित करने हेतु राशि रुपये 1150.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है। इस राशि की व्यवस्था मांग संख्या 06 से समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 11,50,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

सरदार सरोवर परियोजना के विद्युत देयकों के देनदारियों का अंशपूजी में परिवर्तन करने हेतु राशि रुपये 200.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है। इस राशि की व्यवस्था मांग संख्या 06 से समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

म.प्र. पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी की ए.डी.बी. सहायित पारेषण सुदृढीकरण योजना की राशि को अंशपूजी में प्रदान करने हेतु राशि रुपये 235.49 करोड़ की आवश्यकता है। जिसकी पूर्ति पुनर्विनियोजन से की जायेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

म.प्र. पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी की ए.डी.बी. सहायित पारेषण सुदृढीकरण योजना आदिवासी उपयोजना में अंशपूजी हेतु राशि रुपये 69.00 लाख की आवश्यकता है। जिसकी पूर्ति पुनर्विनियोजन से की जायेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6

म.प्र. पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी की ए.डी.बी. सहायित पारेषण सुदृढीकरण योजना अनुसूचित जाति उपयोजना में अंशपूजी हेतु राशि रुपये 80.00 लाख की आवश्यकता है। जिसकी पूर्ति पुनर्विनियोजन से की जायेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 6801

मद क्रमांक 7

विद्युत वितरण कंपनियों के लिये ए.डी.बी. सहायित उप पारेषण वितरण प्रणाली एवं सुदृढीकरण योजना हेतु राशि रुपये 59.16 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 59,16,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 13

मुख्य शीर्ष 2401

मद क्रमांक 1

कृषि विभाग के अंतर्गत राज्य कृषक आयोग में व्यावसायिक सेवा हेतु अदायगियों की नवीन मद की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

कृषि विभाग के अंतर्गत मुख्य मंत्री भावान्तर भुगतान योजना हेतु राशि रुपये 4000.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 40,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 18
मुख्य शीर्ष 2230

मद क्रमांक 1

श्रम विभाग के अंतर्गत पंजीयक औद्योगिक न्यायालय इंदौर के लिये सूचना एवं प्रौद्योगिकी योजना के लिये कार्यालय उपकरणों के क्रय मद प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

श्रम विभाग के अंतर्गत श्रमायुक्त इंदौर के लिये बाल श्रमिक सर्वेक्षण/पुनर्वास योजना हेतु परीक्षा एवं प्रशिक्षण मद प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

श्रम विभाग के अंतर्गत श्रमायुक्त इंदौर के लिये बंधक मजदूरों की पुनर्वास योजना हेतु वित्तीय वर्ष के दौरान अन्य प्रभार मद में रुपये 234.50 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,34,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 19
मुख्य शीर्ष 2210

मद क्रमांक 1

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण के अंतर्गत राज्य स्तरीय रोगी सहायता कोष में राशि रुपये 25.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 25,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2 - 4

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अंतर्गत फर्नीचर क्रय, अनुरक्षण कार्य की मदें प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 300 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2211

मद क्रमांक 5

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अंतर्गत वेतन, मकान किराया भत्ता मद प्रारंभ की जानी प्रस्तावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अंतर्गत ऑक्जीलियरी नर्स, मिडवाइफ एवं हैल्थ विजिटर्स को परिवार कल्याण का प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अंतर्गत मकान किराया भत्ता मद में राशि की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 16

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अंतर्गत मकान किराया भत्ता मद में प्रावधान न होने के कारण राशि रुपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 17

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अंतर्गत मकान किराया भत्ता मद में प्रावधान न होने के कारण राशि रुपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	20
मुख्य शीर्ष	2215

मद क्रमांक 1

नगद परिनिर्धारण उच्चन्त लेखा (सी.एस.एस.ए.) राशि रुपये 796.85 लाख एवं सामग्री क्रय उच्चन्त लेखा राशि रुपये 633.61 कुल राशि रुपये 1430.46 लाख के पुस्तकीय समायोजन हेतु प्रतीक प्रावधान प्रस्तावित है। आवश्यक राशि की व्यवस्था बचत से की जायेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	22
मुख्य शीर्ष	2217

मद क्रमांक 1

नगर तथा ग्राम निवेश योजना अंतर्गत अखिल भारतीय सेवा के सदस्य के वेतन भत्ते अंतर्गत अन्य भत्ते का नवीन विस्तृत शीर्ष की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

रियल एस्टेट रेगुलेशन एवं विकास, अपीलीय अधिकरण योजना के अंतर्गत सहायक अनुदान मद की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

प्रधानमंत्री आवास योजना (हाऊसिंग फॉर ऑल) के अंतर्गत अनुदान हेतु राशि रुपये 1049.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 10,49,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष	4217
-------------	------

मद क्रमांक 4

मध्यप्रदेश अर्बन डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट योजना के अंतर्गत सलाहकारों के भुगतान के लिये विस्तृत शीर्ष की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

मध्यप्रदेश अर्बन सेनिटेशन इन्वॉयरमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत सलाहकारों के भुगतान के लिये विस्तृत शीर्ष की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 23
मुख्य शीर्ष 4700

मद क्रमांक 1

निम्नांकित नवीन वृहद सिंचाई परियोजना की अनुमानित लागत रुपये 109767.00 लाख है, जिसकी व्यवस्था विभागीय बजट से की जायेगी।

क्र.	जिला	योजना का नाम	लागत (रु.लाख में)	सिंचाई क्षमता (हेक्टे. में)	प्रति हेक्टे. लागत(रु.लाख में)	अनुदान की राशि (रुपये में)
1.	सिंगरौली	गौड वृहद सिंचाई परियोजना	109767.00	34500	3.18	100

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

हरसी जलाशय परियोजना जिला ग्वालियर के सुदृढीकरण एवं विस्तारीकरण में अनुमानित राशि रुपये 5619.52 लाख का व्यय संभावित है। जिसकी व्यवस्था विभागीय बजट से की जावेगी।

क्र.	जिला	योजना का नाम	लागत (रु.लाख में)	अनुदान की राशि (रुपये में)
1.	ग्वालियर	हरसी जलाशय परियोजना	5619.52	100

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4701

मद क्रमांक 3

निम्नांकित नवीन मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु राशि रुपये 7903.36 लाख की आवश्यकता है। जिसकी व्यवस्था विभागीय बजट से की जावेगी।

क्र.	जिला	योजना का नाम	लागत (रु. लाख में)	सिंचाई क्षमता (हेक्टे. में)	प्रति हेक्टे. लागत(रु. लाख में)	अनुदान की राशि (रुपये में)
1.	उज्जैन	इन्दोख बैराज मध्यम सिंचाई परियोजना	7903.36	6100	1.30	100

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4702

मद क्रमांक 4

आदिवासी क्षेत्र की निम्नांकित योजनाओं हेतु राशि रुपये 35478.29 लाख की आवश्यकता है। व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतों से की जावेगी।

क्र.	योजना का नाम	जिला	लागत (रु. लाख में)	सिंचाई क्षमता (हेक्टे. में)	प्रति हेक्टे. लागत(रु. लाख में)	अनुदान की राशि (रुपये में)
1.	प्रभुढाना तालाब	बैतूल	1098.58	350	3.14	100
2.	कुम्भी तालाब	बैतूल	454.55	155	2.93	100
3.	नान्द्रा तालाब	बैतूल	492.14	155	3.18	100
4.	जूनावानी तालाब	बैतूल	428.58	157	2.73	100
5.	खोदरी तालाब	बैतूल	1175.72	412	2.85	100
6.	उमरी पण्डोल तालाब	बैतूल	446.44	150	2.98	100
7.	बीजासनी तालाब	बैतूल	372.03	125	2.98	100
8.	चोरनी मोरनी तालाब	बैतूल	755.49	260	2.91	100

9. कोयलारी तालाब	बैतूल	723.44	250	2.89	100
10. पूर्णा तालाब	बैतूल	1704.94	530	3.22	100
11. बजरंगगढ़ बैराज	रतलाम	1004.87	575	1.75	100
12. गरवाडिया तालाब	रतलाम	513.31	150	3.42	100
13. खेड़ी बैराज	रतलाम	1189.54	710	1.68	100
14. मांडलियाघाट तालाब	रतलाम	1532.21	814	1.88	100
15. दरबई तालाब	सिवनी	788.71	230	3.43	100
16. बान्द्रा तालाब	सिवनी	2403.68	700	3.43	100
17. मुन्डा तालाब	सिवनी	1074.05	315	3.41	100
18. धूपघाटा तालाब	सिवनी	1744.88	650	2.68	100
19. पाटन कनेरा तालाब	सिवनी	948.35	410	2.31	100
20. सरोरा तालाब	सिवनी	339.11	355	0.96	100
21. राजबन्द तालाब	शहडोल	804.05	234	3.44	100
22. हलफल नाला तालाब	शहडोल	3233.32	995	3.25	100
23. बड़गांव वियर	डिण्डोरी	145.79	150	0.97	100
24. बखतपुरा तालाब	झाबुआ	387.14	155	2.50	100
25. खोह तालाब	उमरिया	2067.03	594	3.48	100
26. चंगेरा तालाब	उमरिया	2019.09	580	3.48	100
27. भगतबाबा न.-2 तालाब	बुरहानपुर	622.61	225	2.77	100
28. सतोड़ तालाब	बुरहानपुर	524.17	275	1.91	100
29. करदाली तालाब	बुरहानपुर	465.06	165	2.82	100
30. बोरबोन तालाब	बुरहानपुर	1608.19	490	3.28	100
31. काल्दा नाला तालाब	खण्डवा	1999.80	580	3.45	100
32. बन्दी तालाब	धार	410.64	170	2.42	100
33. लवधर तालाब	मंडला	641.74	185	3.47	100
34. धानपुरी तालाब	अनूपपुर	1359.04	445	3.05	100
योग		35478.29			3400

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 3400 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 24
मुख्य शीर्ष 5054

मद क्रमांक 1

अपरिक्षित मद के निम्नांकित निर्माण कार्य लागत रुपये 3597.49 लाख को नवीन मद के रूप में सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।

क्र.	जिला	कार्य का नाम	लागत (रु. लाख में)	अनुदान की राशि (रुपये में)
1.	उज्जैन	जीरन मार्ग एवं मंदसौर नीमच मार्ग के चौराहे पर फ्लाई ओव्हर निर्माण	936.35	100
2.	उज्जैन	उज्जैन जिले में नागदा खाचरोद स्थित रतलाम रेल्वे फाटक एल.सी. क्रमांक 103 पर आर.ओ. ब्रिज का निर्माण	2661.14	100
योग			3597.49	200

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 200 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

केन्द्रीय सड़क निधि के प्रगतिरत कार्यों को पूर्ण करने हेतु राशि रुपये 350.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,50,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (ग्रामीण सड़कों सहित) के अंतर्गत प्रगतिरत कार्यों हेतु रुपये 300 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है तथा निम्नांकित 6 नवीन सड़क कार्यों की पोल शिफ्टिंग कार्य लागत राशि रुपये 782.84 लाख से कराई जाना प्रस्तावित है:-

क्र.	जिला	कार्य का नाम	लागत (रु. लाख में)	अनुदान राशि (रुपये में)
1.	रतलाम	खाचरोद बटलवदी बरबोदना नामली धामनोद मार्ग पर एच.टी.एल.टी. एवं पोल शिफ्टिंग के विद्युतीकरण का कार्य	124.79	100
2.	रतलाम	एस.एच. 41 बडायला चौरासी सादाखेड़ी गुणावद धोसवास मार्ग पर एच.टी.एल.टी. एवं पोल शिफ्टिंग के विद्युतीकरण का कार्य	137.11	100
3.	रतलाम	रजाखेड़ी सरसी नामली मार्ग पर एच.टी.एल.सी. एवं पोल शिफ्टिंग के विद्युतीकरण का कार्य	184.34	100
4.	रतलाम	नागदा बेरछा रजला खेड़ी माधोपुर असावती मार्ग पर एच.टी.एल.टी. एवं पोल शिफ्टिंग के विद्युतीकरण का कार्य	136.44	100
5.	रतलाम	ताल खारवाखेड़ी माधोपुर असावती खाचरोद बड़वन मार्ग पर एच.टी.एल.टी. एवं पोल शिफ्टिंग के विद्युतीकरण का कार्य	99.79	100
6.	रतलाम	आलोट पाटन तालोद झुठावद सगावली ईसान खेड़ी मार्ग पर एच.टी.एल.टी. एवं पोल शिफ्टिंग के विद्युतीकरण का कार्य	100.37	100
योग			782.84	600

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान एवं रुपये 600 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 25
मुख्य शीर्ष 2853

मद क्रमांक 1

विभाग में जी.आई.एस. लैब की स्थापना हेतु एक कम्प्यूटर, एक यू.पी.एस., एक स्केनर, एक कलर प्रिन्टर एवं एक प्लॉटर क्रय किये जाने हेतु प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4853

मद क्रमांक 2

त्रि-स्तरीय जी.आई.एस. लैब की स्थापना की जाना है। इसके अंतर्गत सॉफ्टवेयर उत्पाद आर्क जी.आई.एस. एवं लीप प्रोग/सरपेक सॉफ्टवेयर क्रय

किये जाने हेतु प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 26
मुख्य शीर्ष 2205

मद क्रमांक 1

संस्कृति विभाग के अंतर्गत नमामि देवी नर्मदे नर्मदा सेवा यात्रा 2016 के आयोजन हेतु राशि रुपये 3.00 करोड़ एवं खजुराहों अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के आयोजन हेतु राशि रुपये 1.14 करोड़ कुल राशि रुपये 4.14 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 4,14,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

संस्कृति विभाग के अंतर्गत हिन्दी एवं अन्य बोलियों का विकास योजना में हिन्दी सम्मेलन के आयोजन हेतु राशि रुपये 5.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

संस्कृति विभाग के अंतर्गत म.प्र. स्थापना दिवस एवं अन्य समारोहों के लंबित भुगतान हेतु राशि रुपये 3.00 करोड़, उज्जैन के द्वादश ज्योतिर्लिंग समारोहों हेतु राशि रुपये 3.00 करोड़ एवं आदि शंकराचार्य प्रकटोत्सव मनाये जाने हेतु राशि रुपये 5.00 करोड़ कुल राशि रुपये 11.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 11,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

राज्य के 51 जिलों में आयोजित युवा संसद के आयोजन पर होने वाले व्यय हेतु राशि रुपये 3.50 करोड़ का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 3,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5 - 6

पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय के लिये निर्देशन और प्रशासन योजना अंतर्गत परिवहन व्यवस्था एवं विशेष सेवाओं के लिये मानदेय हेतु नवीन मद खोलते हुये प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 200 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7

उत्खनन तथा सर्वेक्षण अंतर्गत नर्मदा के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु नर्मदा सेवा मिशन का गठन किया गया है। नर्मदा सेवा योजना के अंतर्गत आवश्यक कार्य हेतु अतिरिक्त राशि रुपये 39.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 39,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 27
मुख्य शीर्ष 4202

मद क्रमांक 1-3

राज्य शिक्षा केन्द्र अंतर्गत सोलर लाईट योजना हेतु राशि रुपये 9.00 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। यह राशि राजस्व मद से समायोजित की जायेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 9,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4-6

राज्य शिक्षा केन्द्र अंतर्गत इलेक्ट्रिकफिकेशन ऑफ स्कूल योजना अंतर्गत राशि रुपये 20.00 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। यह राशि राजस्व मद से समायोजित की जायेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 20,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 28
मुख्य शीर्ष 2011

मद क्रमांक 1

विधान सभा सचिवालय के अंतर्गत नेता प्रतिपक्ष हेतु एक नवीन वाहन क्रय के लिये राशि रुपये 21.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 21,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 29
मुख्य शीर्ष 2014

मद क्रमांक 1

विधि विभाग के अंतर्गत पंजीयक उच्च न्यायालय (भारित) योजना मद में नवीन वाहन क्रय हेतु राज्य की आकस्मिकता निधि से रुपये 6,71,46,560 का अग्रिम स्वीकृत किया गया है।

अतः आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु रुपये 6,71,46,560 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

विधि विभाग के अंतर्गत निर्वाह पत्र तामिल स्थापना योजना के लिये वेतन भत्ते हेतु राशि रुपये 70.00 लाख का अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 70,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3 - 4

विधि विभाग के अंतर्गत महाधिवक्ता कार्यालय हेतु वेतन एवं कार्यालय फर्नीचर क्रय हेतु राशि रुपये 31.50 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 31,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2052

मद क्रमांक 5 - 13

विधि विभाग के अंतर्गत राज्य विधि आयोग के पुनर्गठन हेतु नवीन योजना वेतन भत्ते, मजदूरी, वेतन, यात्रा भत्ता, कार्यालय व्यय, वाहनों का क्रय, विशिष्ट व्यक्तियों की सुविधाओं पर व्यय, व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां एवं अनुरक्षण कार्य आदि मदों के सृजित किये जाने हेतु प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 900 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 14

आवासीय आयुक्त मध्यप्रदेश भवन नई दिल्ली का कार्यालय ज्यूडीशियल स्टाफ के लिये परिवहन व्यवस्था मद में राशि रुपये 15.00 लाख के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 15,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 30
मुख्य शीर्ष 2216

मद क्रमांक 1-3

ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री आवास मिशन हेतु राशि रुपये 132.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,32,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2501

मद क्रमांक 4 - 7

ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत राज्य स्तर का अमला योजना में मजदूरी, परिवहन व्यवस्था आदि मदों हेतु प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 400 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2515

मद क्रमांक 8 - 13

ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत विकास आयुक्त हेतु कार्यालय व्यय आदि मदों हेतु प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 600 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4515

मद क्रमांक 14

ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु राशि रुपये 100.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 31

मुख्य शीर्ष 3451

मद क्रमांक 1

राज्य योजना आयोग कार्यालय में वाहन किराये के भुगतान हेतु परिवहन व्यवस्था मद में राशि रुपये 20.00 लाख की आवश्यकता है। जिसकी पूर्ति बजट की बचत से की जायेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2 - 4

नर्मदा सेवा मिशन का गठन किया जाना है। इस हेतु राशि रुपये 200.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 3454

मद क्रमांक 5

आदि शंकराचार्य की प्रतिमा हेतु धातु संग्रहण एवं जनजागरण अभियान के लिये एकात्म-यात्रा के आयोजन हेतु रुपये 1047.67 लाख राज्य आकस्मिकता निधि से स्वीकृत की गई है। जिसकी प्रतिपूर्ति की जाना है।

अतः आकस्मिकता निधि से स्वीकृत राशि की प्रतिपूर्ति हेतु रुपये 10,47,67,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 32

मुख्य शीर्ष 2220

मद क्रमांक 1

निर्देशन और प्रशासन हेतु वित्तीय वर्ष में स्वीकृत राशि के अतिरिक्त रुपये 35.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 35,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर विज्ञापन एवं प्रचार योजना में स्वीकृत बजट के अतिरिक्त रुपये 20.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 20,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

विशेष अवसरों पर विज्ञापन एवं प्रचार योजना में स्वीकृत राशि के अतिरिक्त रुपये 20.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 20,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 33
मुख्य शीर्ष 2225

मद क्रमांक 1

अनुसूचित जन जाति विभाग के अंतर्गत वन बन्धु कल्याण योजना अंतर्गत राशि रुपये 95.07 लाख के प्रावधान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 95,07,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

अनुसूचित जन जाति विभाग के अंतर्गत आई.डी.पी./माडा पैकेट/कलस्टर में स्थानीय विकास कार्यक्रम जैसी गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु राशि रुपये 3517.09 लाख के प्रावधान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 35,17,09,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

अनुसूचित जन जाति विभाग के अंतर्गत संपूर्ण म.प्र. के 51 जिलों में अत्याचार पीड़ित अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को राहत एवं पुनर्वास की व्यवस्था हेतु राशि रुपये 10.00 करोड़ के अतिरिक्त प्रावधान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

अनुसूचित जन जाति विभाग के अंतर्गत विशेष पिछड़ी जनजातियों का विकास हेतु राशि रुपये 5482.31 लाख के प्रावधान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 54,82,31,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4225

मद क्रमांक 5

अनुसूचित जन जाति विभाग के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिये राशि रुपये 22847.17 लाख के प्रावधान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,28,47,17,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6

आयुक्त आदिवासी विकास हेतु कन्या शिक्षा परिसर हेतु राशि रुपये 200.00 करोड़ के अतिरिक्त अनुदान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7

आयुक्त आदिवासी विकास अंतर्गत कन्या शिक्षा परिसर में लघु निर्माण कार्य मद की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 8

आदिम जाति क्षेत्रीय विकास में लघु निर्माण कार्य योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु राशि रुपये 17880.39 लाख के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,78,80,39,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	35
मुख्य शीर्ष	4851

मद क्रमांक 1

आटो टेस्टिंग ट्रेक भू-अर्जन मुआवजा योजना अंतर्गत माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के पालन हेतु लंबित प्रकरणों के भुगतान किये जाने हेतु राशि रुपये 10.50 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	36
मुख्य शीर्ष	2041

मद क्रमांक 1

परिवहन विभाग के अंतर्गत शासकीय भवनों में साफ-सफाई एवं शौचालयों की सफाई हेतु राशि रुपये 69.54 लाख की आवश्यकता है। जिसकी पूर्ति उपलब्ध बजट से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	37
मुख्य शीर्ष	5452

मद क्रमांक 1

मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम की अंशपूजी में धनवेष्टन/निवेश योजना के अंतर्गत राशि रुपये 13,55,87,000 का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 13,55,87,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	38
मुख्य शीर्ष	2210

मद क्रमांक 1

आयुष विभाग के अंतर्गत सुरक्षा व्यवस्था हेतु सी.सी.आई.एम. मापदण्डों की पूर्ति हेतु संचालन एवं रख-रखाव की आवश्यकता होने से प्रतीक प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2 - 3

आयुष विभाग के अंतर्गत सुरक्षा व्यवस्था, सफाई व्यवस्था हेतु सी.सी.आई.एम. मापदण्डों की पूर्ति हेतु संचालन एवं रख-रखाव की आवश्यकता होने से प्रतीक प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 200 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 39
मुख्य शीर्ष 2408

मद क्रमांक 1-3

खाद्य विभाग के अंतर्गत शक्कर क्रय हेतु राशि रुपये 19.55 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 19,55,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 40
मुख्य शीर्ष 2202

मद क्रमांक 1

लोक शिक्षण अंतर्गत कक्षा 9 से 12 हेतु छात्रावास/अधोसंरचना सी.डब्ल्यू.एस.एन. हेतु राशि रुपये 100 का प्रतीक प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4202

मद क्रमांक 2

लोक शिक्षण के अंतर्गत राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा के अपूर्ण कार्यों से संबंधित व्यय के लिये रुपये 100 का प्रतीक प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3-5

लोक शिक्षण अंतर्गत निर्माण कार्य हेतु राशि रुपये 15.00 करोड़ पूंजीगत मद में आवश्यकता है। राजस्व मद से समायोजन के माध्यम से इस राशि की व्यवस्था की जा रही है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 15,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 42
मुख्य शीर्ष 2202

मद क्रमांक 1

गैस राहत विभाग के अंतर्गत सहायक अनुदान, अन्य मद को शामिल किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2210

मद क्रमांक 2

गैस राहत विभाग के अंतर्गत अव्यावसायिक भत्ता (ग्लोबल) मद को शामिल किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

गैस राहत विभाग के अंतर्गत अव्यावसायिक भत्ता मद को शामिल किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

गैस राहत विभाग के अंतर्गत अव्यावसायिक भत्ता मद को शामिल किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

गैस राहत विभाग के अंतर्गत अव्यावसायिक भत्ता मद को शामिल किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2235

मद क्रमांक 6

गैस राहत विभाग के अंतर्गत अवकाश यात्रा सुविधा मद में प्रावधान न होने के कारण प्रतीक प्रावधान शामिल किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 45

मुख्य शीर्ष 4702

मद क्रमांक 1

गैर आदिवासी क्षेत्र की निर्माकित नवीन लघु सिंचाई योजनाओं की अनुमानित लागत राशि रुपये 56847.68 लाख है। आवश्यक राशि की पूर्ति स्वीकृत बजट से की जावेगी।

क्र.	योजना का नाम	जिला	लागत (रु. लाख में)	सिंचाई क्षमता (हेक्टे. में)	प्रति हेक्टे. लागत(रु. लाख में)	अनुदान की राशि (रुपये में)
1.	मघन स्टापडेम	भिण्ड	146.64	150	0.98	100
2.	गोकुलिया तालाब	इंदौर	332.77	130	2.56	100
3.	बेका तालाब	इंदौर	1270.08	530	2.40	100
4.	नारायनी बैराज	रतलाम	230.84	145	1.59	100
5.	धतुरिया बैराज	रतलाम	253.19	145	1.75	100
6.	गोथरा बैराज	रतलाम	828.51	525	1.58	100
7.	आलमपुर ठिकरिया बैराज	रतलाम	270.50	155	1.75	100
8.	उमरान तालाब	रतलाम	837.85	300	2.79	100
9.	निपानिया खुर्द बैराज	सीहोर	200.12	140	1.43	100
10.	अमीरगंज तालाब	सीहोर	1163.17	470	2.47	100
11.	बजगांव सिरसोदिया नहर परि.	सीहोर	1660.12	565	2.94	100
12.	महादेव बेन्द्रा तालाब	सीहोर	2382.38	685	3.48	100
13.	रतनपुर उ.सि.यो.	सीहोर	1409.31	1084	1.30	100
14.	पटतलाई उ.सि.यो.	सीहोर	1097.33	800	1.37	100
15.	रामघर बैराज	सीहोर	333.15	195	1.71	100
16.	बिची स्टापडेम	शिवपुरी	658.47	380	1.73	100
17.	बरघाट स्टापडेम	शिवपुरी	603.92	350	1.73	100
18.	तिनसा तालाब	सिवनी	837.59	240	3.49	100
19.	बरोदिया नोनागिर बियर	सागर	262.55	150	1.75	100
20.	बरोदा तालाब	सागर	1742.51	500	3.49	100
21.	जामदर्दा तालाब	सागर	1868.02	583	3.20	100
22.	चुरारी तालाब	सागर	4009.23	1400	2.86	100
23.	मगरा तालाब	सागर	4235.75	1230	3.44	100
24.	लछसर तालाब	सागर	1090.00	460	2.37	100
25.	भूरी तालाब	दमोह	831.24	238	3.49	100
26.	पारना तालाब	दमोह	2816.45	950	2.96	100
27.	निहडा तालाब	बैतूल	4131.92	1195	3.46	100

28. पस्तलाई तालाब	बैतूल	721.63	240	3.01	100
29. गंगई तालाब	बैतूल	1381.14	510	2.71	100
30. सोनोरी तालाब	बैतूल	819.21	275	2.98	100
31. पराखाती तालाब	बैतूल	747.00	300	2.49	100
32. महिलावाड़ी तालाब	बैतूल	717.88	210	3.42	100
33. अम्बोरी तालाब	बैतूल	489.74	165	2.97	100
34. खाम्बरा तालाब	बैतूल	461.00	155	2.97	100
35. चिचंदा तालाब	बैतूल	399.13	145	2.75	100
36. दर्गावन तालाब	विदिशा	2292.37	659	3.48	100
37. बरखेड़ा हरगन तालाब	विदिशा	540.55	155	3.49	100
38. झंगरिया तालाब	मंदसौर	1592.76	580	2.75	100
39. कोटरामाता तालाब	मंदसौर	884.39	330	2.68	100
40. बाचाखेड़ी तालाब	उज्जैन	328.38	135	2.43	100
41. फतेहपुर तालाब	गुना	1428.49	580	2.46	100
42. सतसोई तालाब	खरगौन	3847.27	1070	3.60	100
43. गोरखपुर अंजनी तालाब	छिंदवाड़ा	3326.65	1170	2.84	100
44. देवपुर बैराज	आगर	772.05	480	1.61	100
45. छारदा बैराज	आगर	594.43	350	1.70	100
योग		56847.68			4500

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 4500 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 47
मुख्य शीर्ष 2203

मद क्रमांक 1 - 3

पोलीटेक्निक संस्थाओं की स्थापना हेतु भारत सरकार से प्राप्त सहायता राशि रुपये 128.85 लाख का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,28,85,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4,6

तकनीकी शिक्षा अंतर्गत भारत सरकार की पोलीटेक्निक स्थापना योजना अंतर्गत फर्नीचर उपकरणों हेतु प्राप्त सहायता राशि रुपये 383.79 लाख का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,83,79,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

भारत सरकार की पोलीटेक्निक कम्प्यूनिटी डेवलपमेंट थ्रू योजना अंतर्गत विशेष सेवाओं के मानदेय हेतु राशि रुपये 102.82 लाख का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,02,82,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4202

मद क्रमांक 7

तकनीकी शिक्षा अंतर्गत नसरूलागंज पोलीटेक्निक महाविद्यालय में टेक्सटाइल टेक्नॉलॉजीकी ब्रान्च प्रारंभ करने हेतु राशि रुपये 100 प्रतीक प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 8-10

आई.टी.आई. का मॉडल आई.टी.आई. के रूप में उन्नयन के अंतर्गत राशि रुपये 10.00 करोड़ पूंजीगत मद में प्रावधान किया जाना है। यह राशि मुख्य बजट में राजस्व मद में प्रावधानित है। समायोजन के माध्यम से राशि की व्यवस्था की जा रही है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 11-13

भारत सरकार की पोलिटेकनिक स्थापना योजना अंतर्गत भवन निर्माण हेतु प्राप्त सहायता राशि रुपये 685.70 लाख का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 6,85,70,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 48
मुख्य शीर्ष 2401

मद क्रमांक 1

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हेतु रुपये 67.66 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 67,66,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2801

मद क्रमांक 2

बरगी विद्युत गृह संचालन एवं संधारण कार्य हेतु रुपये 1557.34 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 15,57,34,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4700

मद क्रमांक 3

नर्मदा मालवा गंभीर लिंक उद्वहन योजना हेतु रुपये 100.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

नर्मदा नदी किनारे घाट निर्माण कार्य हेतु रुपये 10.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

पिपरी उद्वहन माइक्रो सिंचाई परियोजना की अनुमानित लागत रुपये 115.40 करोड़ है। जिसकी व्यवस्था बजट की बचत से की जायेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6

मोरंड गंजाल संयुक्त सिंचाई योजना हेतु रुपये 40.00 करोड़ की आवश्यकता है। जिसकी पूर्ति बजट की बचत से की जायेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7

नीलकुंड घाट संरक्षण कार्य हेतु रुपये 23.16 करोड़ की आवश्यकता है। जिसकी व्यवस्था बजट की बचत से की जायेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 8

नमामि देवी नर्मदे (नर्मदा सेवा मिशन) के अंतर्गत अनूपपुर, डिंडोरी, मण्डला, जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवनी, होशंगाबाद, रायसेन, सीहोर, हरदा, देवास, खण्डवा, खरगौन, बड़वानी, धार एवं अलीराजपुर जिलों में नर्मदा यात्री निवास, तालाब निर्माण एवं घाटों का निर्माण किया जाना है। इस हेतु राशि रुपये 15.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 9

नर्मदा (आई.एस.पी.) पार्वती लिंक परियोजना को नवीन मद के रूप में बजट में सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 50
मुख्य शीर्ष 2401

मद क्रमांक 1-3

उद्यानिकी विभाग के अंतर्गत केन्द्र प्रवर्तित प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना हेतु राशि रुपये 160.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,60,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 52
मुख्य शीर्ष 2210

मद क्रमांक 1

चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत अभिभाषकों की फीस मद की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2 - 3

चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत चिकित्सा सेवा एवं अव्यावसायिक भत्ता मद की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 200 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत पुस्तकें एवं नियत कालिक पत्रिकायें मद में प्रावधान न होने के कारण राशि रुपये 3.00 करोड़ के अतिरिक्त प्रावधान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4210

मद क्रमांक 5 - 6

चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत मशीनें एवं संयंत्र तथा संधारण अनुदान मद में राशि रुपये 2.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7

चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत मशीने एवं संयंत्र मद की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 8 - 10

चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत मशीने एवं संयंत्र, उप वृहद निर्माण कार्य एवं संधारण अनुदान मद की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 300 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 11 - 13

चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत मशीने एवं संयंत्र, वृहद निर्माण कार्य एवं अन्य मद की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 300 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 14 - 15

चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत बर्न यूनिट की स्थापना हेतु मशीने हेतु प्रतीक प्रावधान एवं वृहद निर्माण कार्य मद हेतु राशि रुपये 4.50 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,50,00,000 अनुपूरक अनुदान एवं रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 16 - 17

चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत मशीने एवं संयंत्र एवं वृहद निर्माण कार्य मद में राशि रुपये 20.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 20,00,00,000 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 18 - 19

चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत मशीने एवं संयंत्र, एवं वृहद निर्माण कार्य मद में रुपये 10.00 करोड़ के अतिरिक्त प्रावधान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 20 - 22

चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत मशीने एवं संयंत्र, अन्य एवं फर्नीचर मद की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 300 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 53
मुख्य शीर्ष 2215

मद क्रमांक 1-3

ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत केन्द्र प्रवर्तित निर्मल भारत अभियान हेतु राशि रुपये 1170.5144 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 11,70,51,44,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2216

मद क्रमांक 4-6

ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत प्रधान मंत्री आवास योजना हेतु राशि रुपये 3391.4160 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 33,91,41,60,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2505

मद क्रमांक 7

केन्द्र प्रवर्तित राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना हेतु रुपये 600.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 6,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2515

मद क्रमांक 8

पंचायत विभाग के अंतर्गत केन्द्र प्रवर्तित प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना हेतु राशि रुपये 176.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,76,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 55

मुख्य शीर्ष 2235

मद क्रमांक 1

प्रधानमंत्री मातृत्व सहयोग योजना (आई.जी.एम.एस.वाई) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष में स्वीकृत राशि के अतिरिक्त रुपये 54.06 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 54,06,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 56

मुख्य शीर्ष 2851

मद क्रमांक 1

ग्रामोद्योग विभाग के अंतर्गत राज्य कारीगर आयोग को प्रशासनिक व्यय मद की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 58

मुख्य शीर्ष 2245

मद क्रमांक 1

सूखा फसल क्षति सहायता अनुदान हेतु वित्तीय वर्ष में स्वीकृत राशि के अतिरिक्त रुपये 1300.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 13,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 60

मुख्य शीर्ष 2515

मद क्रमांक 1

सांसद स्वेच्छानुदान निधि से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु रुपये 10.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 65

मुख्य शीर्ष 2052

मद क्रमांक 1

विमानन संचालनालय के अंतर्गत आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिम की पूर्ति हेतु राशि रुपये 6.00 करोड़ एवं विमानों के देयकों के शेष माहों में व्ययों की पूर्ति हेतु राशि रुपये 7.50 करोड़ कुल राशि रुपये 13.50 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति सहित राशि रुपये 13,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।